

मेरू

उपनि
नाम

रूपा

पु.सं. 41/18

20/10/2021

पत्रावली देखा दुर्ग। वकील वादी
उप.। वादी वकील द्वारा एक

प्रा. पत्र रक्म आख्या का
पैसा किया कि प्रकरण न्यायालय

के समक्ष विचारधीन होकर

अनुप वादी हेतु पि.व.सी.का

की पैकी जारी रख हेतु निपटा

हैं। उक्त प्रकरण में वादी

किसी प्रकार की गैर

कार्य वाही नहीं पाहता है

तथा उक्त प्रकरण को रक्म

अन्त पर अन्तिम किया

जाना आ.व.पक है। उक्त

प्रकरण की पत्रावली को दि

28/10/2021 को शीर्ष से भाग

ही गलत की जाकर उक्त

पत्रावली को रक्म अन्त पर

अन्तिम किया जाना आवश्यक

है। वादी का प्रार्थनापत्र अतीकार

किया जाकर पत्रावली को

दि 28/10/2021 से भाग ही

गलत किया जाकर उक्त प्रकरण

को रक्म अन्त पर अन्तिम

किया जाने का आ.व.पक ध्यान

कराती

वादी वकील के प्रा. पत्र

पर ध्यान पूर्वक अवलोकन किया

एक परिश्रम किया गया।

नि. 613-212/2021
के अन्तर्गत
पु.सं. 41/18
Inchayam
Vinay Kumar
20/10/2021

उपखण्ड अधिकारी
द.नि.स. (रा.।)

भव: वकील गद्दी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण
के परामर्शी 28/10/2024 से तलब
कि जाकर आज दिनांक 20/10/24
को मिला कि जाती है। एक
उक्त प्रकार में गद्दी किसी प्रकार
की सौक कार्रवाई नहीं चाहते से
वही बात पर श्रौष किये जाने
कि आज पारित कि जाती
है। परामर्शी केवल शुमार
होकर वास्तव प्रकार है।

3
उपरोक्त अधिकारी
हमीरगढ़ (राज.)